भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दक्षिणी जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

5 अक्टूबर, 2023

कोल्हान वन क्षेत्र में चलाने वाले यात्री वाहन (सवारी गाड़ी) और मालवाहक वाहन (सामान ढुलाई करने वाली गाड़ी) मालिकों और चालकों (ड्रायवरों) से अत्याचारी व दमनकारी पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों की किसी भी तरह की मदद न करने की दक्षिणी जोनल कमेटी, भाकपा (माओवादी) की अपील

15 दिसम्बर, 2022 और 18 जनवरी, 2023 और 17 अप्रैल, 2023 को दक्षिणी जोनल कमेटी ग्रामीण जनता को बुबीट्रैप (पागल जाल) से सावधान करने और यात्री वाहन के मालिकों से पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को न ढोने और गाड़ी नहीं देने तथा शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले तक जंगल इलाके से गुजरने वाले रोड से गाड़ी नहीं चलाने की अपील करते हुए अति आवश्यक सूचना जारी की थी। कुछ प्रतिक्रियावादी तत्वों और पुलिस मुखबिरों तथा पुलिस के बहकावे में आकर जिनलोग कमेटी के उस अपील व निर्देश की अवहेलना कर मनमानी ढंग से जंगल में घुसे तो बुबीट्रैप माइन में फंस कर उनलोगों की जान चली गई और कुछ लोग घायल भी हुए। उसके लिए उनलोग खुद और दमनकारी पुलिस व सरकार जिम्मेदार हैं।

ऐसे ही किस्म की एक घटना दिनांक 12/9/2023 को घटी जिसमें सीआरपीएफ के हाथीबुरू कैम्प में सामान ले जा रहे ट्रैक्टर बारूदी सुरंग (माइन) की चपेट में आने से ट्रैक्टर के हेल्पर लोबो गोप मारा गया और चालक पकलु बोदरा घायल हो गया। इसके लिए दक्षिणी जोनल कमेटी दुख प्रकट करती है। इस घटना का जिम्मेदार पब्लिक वाहन से सामान ढुलाई कराने वाले हाथीबुरू सीआरपीएफ कैम्प के अधिकारी जिम्मेदार हैं और खुद ट्रैक्टर मालिक व चालक।

अत: दक्षिणी जोनल कमेटी पुन: चौथी बार पब्लिक यात्री वाहन (गाड़ी) और मालवाहक वाहन मालिकों और चालकों से अपील करती है कि दमनकारी सीआरपीएफ पुलिस कैम्प के जवानों को और कैम्प के सामानों की ढुलाई न करें। कमेटी की इस अपील की अवहेलना कर यात्री वाहन और मालवाहक वाहन से पुलिस जवानों और सामानों की ढुलाई करने पर बारूदी सुरंग की चपेट में उसकी गाड़ी आ सकती है और सेकेंडभर में गाड़ी के परखच्चे उड़ सकती है तथा वाहन व खलासी की जान जा सकती है अथवा घायल हो सकता है। इसके लिए खुद वाहन मालिक और चालक जिम्मेदार होंगे।

दोस्तो, ग्रामीण या गाड़ी चालक व खलासी, ऐसाकि पुलिस व अर्द्धसैनिक बल और सैनिक के आम सिपाही व जवान भी हमारी पार्टी व पीएलजीए का निशाना नहीं है। हमारा मुख्य दुश्मन लूटेरी साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद है। इन लूटेरी शोषक-शासक वर्ग हमारे देश के मजदूर-किसान, छात्र-नौजवान, निम्न पूंजीपति वर्ग और आम मेहनतकश जनता का दुश्मन है। इन मुट्ठीभर शोषक-शासक वर्ग 90 प्रतिशत मेहनतकश जनता के ऊपर लूट-शोषण और दमन के राज व शासन चला रहा है। उनका इस लूट-शोषण और दमन का राज व शासन सत्ता एकमात्र बंदूक के बल पर ही टिका हुआ है। उस शोषक-शासक वर्ग की और उसके हित की रक्षा व उसके लूट-शोषण और दमन के राज व शासन सत्ता की रक्षा वर्तमान पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और मिलिट्री करते हैं। ये सरकारी सशस्त्र संगठन किसान-मजदूर मेहनतकश वर्ग को दमन करने के एक यंत्र व औजार के रूप में काम कर रहा है। इसलिए पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और मिलिट्री जबतक शोषक-शासक वर्ग के हित व शासन सत्ता को टिकाकर रखने और मजदूर-किसान, छात्र-नौजवान सहित मेहनतकश वर्ग के दमन का यंत्र व औजार के रूप में काम करेगा, बंदूक की नली किसान-मजदूर, मेहनतकश जनता के तरफ रखेगी, तबतक वे हमारी पार्टी व पीएलजीए का निशाना बनेगा। जिस दिन बंदूक की नली शोषक-शासक वर्ग के तरफ घुमा देंगे उस रोज पीएलजीए उसे निशाना नहीं बनाएगी, दोस्त बनाएगी।

यह जग जाहिर है कि आज माओवादियों से कोल्हान मुक्त करने के नाम पर फासीवादी भाजपानीत केन्द्र के मोदी सरकार और महागठबंधननीत झारखण्ड के हेमंत सोरेन सरकार के सहयोग से केन्द्रीय एकीकृत कमान के नेतृत्व में अर्द्धसैनिक बल और राज्य सशस्त्र पुलिस द्वारा कोल्हान के ग्रामीण आदिवासी जनता पर अघोषित रूप से अन्यायपूर्ण, प्रतिक्रांतिकारी बर्बर युद्ध थोपा गया है। पिछले एक वर्ष से संवैधानिक कानून पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून की अवहेलना कर ग्रामसभा की अनुमति के बिना गांवों में जबरदस्ती अर्द्धसैनिक बल- कोबरा, सीआरपीएफ, झारखण्ड जगुआर और झारखण्ड सशस्त्र पुलिस के दर्जनभर एफओबी कैम्प स्थापित कर दिन-रात जब कभी 51एम.एम. और 81एम.एम. के गोले बरसाये जाते हैं। व्यापक निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों को गिरफ्तार करने व बेरहमी से मारपीट करने

का सिलसिला जारी है। कितने ही गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल में न डालकर सीआरपीएफ कैम्प व पुलिस थानों में रखकर शारीरिक व मानसिक यातना देकर उन्हें भयभीत करवाकर अंततः पुलिस की मुखबिरी करने के लिए बाध्य किये जाते हैं।

इस तरह आज एक साजिश के तहत केन्द्र व राज्य सरकार के निर्देशन में कोल्हान के जंगल महल को पुलिस छावनी से भर दिया गया है तथा युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया है। जंगल के गांवों व घरों पर अवैध रूप से सीआरपीएफ, कोबरा, झारखण्ड जगुआर और झारखण्ड पुलिस का कब्जा है। कईएक गांवों में तो आदिवासी जनता के घर को कब्जा करके कैम्प बना दिया है, बच्चे पढ़ने वाले स्कूल को भी कब्जा कर उसमें कैम्प डाल दिया गया है। इसका जीता-जागता उदाहरण है सरजोमबुरू गांव के मुण्डा का घर को ही कब्जा करके उसमें कोबरा 209 बटालियन का एफओबी कैम्प डाल दिया गया है। मुफस्सिल थानान्तर्गत जोजोहातु स्कूल में सीआरपीएफ 197 बटालियन का कैम्प है, टोंटो थानान्तर्गत तुम्बाहाका स्कूल में भी सीआरपीएफ 197 बटालियन का एफओबी कैम्प है, गोइलकेरा थानान्तर्गत हाथीबुरू स्कूल और स्कूल मैदान में सीआरपीएफ 60 बटालियन का एफओबी कैम्प है। जिन-जिन गांवों के स्कूलों में पुलिस कैम्प है वहां के बच्चों का स्कूल जाना और पढ़ाई-लिखाई पिछले 10-12 महीने से बंद है। अपने आपको जनता की सुरक्षा और हितैषी के रूप में दिखाने का नौटंकी करने वाले अर्द्धसैनिक बल और पुलिस द्वारा पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धज्जियां उड़ाकर आदिवासियों के गांवों व घरों और स्कूल पर कब्जा करके कैम्प स्थापित करना आदिवासियों के और उनके बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है या भलाई? क्या मानव अधिकार का घोर उल्लंघन कर आदिवासियों और उनके बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के द्वारा आदिवासियों के मां-बहनों और बहु-बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना तो आम बात है। लेकिन पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के बर्बर जुल्म व दमन से पीड़ित इन आदिवासी जनता की व्यथा व गुहार सुनने वाले व सुद्धि लेने वाले कोई नहीं हैं। कोल्हान के जंगल में दिन-रात अंधाधुंध गोले बरसाये जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के एमपी, एम.एल.ए. जो जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हैं वे कान में तेल डाल कर सोये हुए हैं।

आज कोल्हान के जंगल महल की यही वास्तविकता है। वास्तव में अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस द्वारा कोल्हान के आदिवासियों पर अघोषित बर्बर युद्ध थोपा गया है। कोल्हान वन व जंगल के गांवों में अर्द्धसैनिक बलों का कैम्प डालने और उसकी सैन्य कार्रवाइयां वास्तव में युद्ध के दौरान की जानेवाली सैन्य कार्रवाइयां हैं। संवैधानिक कानून पांचवीं अनुसूची, पेसा और सुप्रीमकोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर आदिवासियों के गांवों, घरों और स्कूलों को कब्जा कर कैम्प स्थापित करने, जंगल में वास करने वाले ग्रामीण आदिवासी जनता को सूचना दिये बिना दिन-रात गांवों व घर-आंगन में 51एम.एम. और 81एम.एम. के गोले बरसाने, निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों की गिरफ्तारी करके कैम्प व थानों में महीनों हिरासत में रखने, उनसे मुखबिरी करवाने की कार्रवाइयां, युद्ध के दौरान की जानेवाले कार्रवाइयां को सिद्ध करती है। इन बलों की सैन्य कार्रवाइयां जन विरोधी व आदिवासी विरोधी हैं। ये आदिवासियों के गांवों, घरों और स्कूलों पर कब्जा जमाकर कैम्प स्थापित किये हैं। निर्दोष आदिवासियों को माओवादियों का ठप्पा लगाकर गिरफ्तार करके कैम्पों व थानों में महीनों-महीनों हिरासत में रखकर किसी से मुखबिरी करवाते हैं और किसी-किसी को नौकर जैसा खाना पकाने, बर्तन धोने और कपड़ा साफ करने का काम फोकट में करवाये जा रहे हैं।

अर्द्धसैनिक बल व पुलिस द्वारा चलाया जानेवाला इस अघोषित अन्यायपूर्ण, प्रतिक्रांतिकारी बर्बर युद्ध के खिलाफ में भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जनता की जनफौज पीएलजीए और क्रांतिकारी जनता न्यायपूर्ण क्रांतिकारी जनयुद्ध व जनप्रतिरोध आन्दोलन चला रहे हैं। हम भाकपा (माओवादी) इस अन्यायपूर्ण, प्रतिक्रांतिकारी युद्ध व बर्बर पुलिसिया दमन अभियान का मुकाबला करने के लिए सापेक्षिक रूप से कमजोर सैन्य शक्ति के जरिए सापेक्षिक रूप से शक्तिशाली सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए दीर्घकालीन जनयुद्ध व छापामार युद्ध की रणनीति व कार्यनीति अपना कर बारूदी सुरंग (माइन) व बुबीट्रैप (पागल जाल) माइन को अभी-अभी मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हथियार एकमात्र हमारा व मेहनतकश जनता का दुश्मन अर्द्धसैनिक बल व पुलिस को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस बारूदी सुरंग व बुबीट्रैप (पागल जाल) से जंगल व गांव में रहने वाले आदिवासी जनता की सुरक्षा के मद्देनजर इसकी सूचना ग्रामीण आदिवासी जनता को देते हैं और अपील करते हैं। ताकि इसकी चपेट में आकर जनता की जान-माल की हानि न हों। पुलिस के बहकावे में आकर एसपीओ, रूपया के लालच में आकर मुखबिरी करने वाले और कुछ प्रतिक्रियावादी लोगों द्वारा पार्टी के आदेश व अपील की अवहेलना कर मनमानी जंगल में घुसने के कारण ही बुबीट्रैप में फंस कर कुछ लोगों की जाने चली गईं या घायल हुए हैं। इसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं।

पुलिस के बहकावे में आकर एसपीओ और मुखबिर तथा प्रतिक्रियावादी लोग पार्टी के निर्देश व अपील का उल्लंघन करने के कारण बुबीट्रैप में फंसकर मारे गये व घायल हुए, तो इसका हवाला देकर पुलिस दुष्प्रचार कर रही है कि माओवादी जनता को निशाना बना रहा है, उसका यह कायराना कार्रवाई है। सवाल है, क्या पांचवीं अनुसूची और पेसा तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर आदिवासियों के गांवों, घरों, स्कूलों को कब्जा कर एफओबी कैम्प स्थापित कर ग्रामीण आदिवासी जनता को सूचना दिये बिना 51एम.एम. और 81एम.एम. मोर्टार से दिन-रात अंधाधुंध गोलाबारी

करना पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों का बहादुराना कार्रवाई है? कतई नहीं, यह बहादुराना नहीं, बल्कि माओवादियों से कोल्हान मुक्त करने के नाम पर चलायी जाने वाली यह कार्रवाई जनविरोधी, आदिवासी विरोधी, बर्बरतापूर्ण दमनात्मक कार्रवाई है, आदिवासियों को माओवादी का ठप्पा लगाकर जंगल व वन क्षेत्रों से खदेड़ कर, वन-जंगल और जमीन से आदिवासियों को बेदखलकर जंगल और जमीन के अधिकार से वंचित कर, जंगल और जमीन व खनिज संपदा पर वन विभाग और कॉरपोरेट घराने का कब्जा दिलाने के उद्देश्य से आदिवासी जनता पर थोपा गया युद्ध की कार्रवाई है। वास्तविक कार्यवाही व व्यवहार ही किसी को पहचानने की कसौटी है। अतएव पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों की कार्रवाई से उसकी असलियत को पहचानें। उसकी कार्रवाई किसके हित में है? कोल्हान के आदिवासी जनता के हित में या मुट्ठीभर शोषक-शासक वर्ग यानी पूंजीपति व कॉरपोरेट घराने के हित में है। गहराई से उसकी कार्यवाही व कार्रवाई का विश्लेषण करने से साफ समझ में आएगा कि असल में उसकी कार्यवाही पूंजीपति वर्ग व कॉरपोरेट घराने के हित में है। पुलिस व अर्द्धसैनिक बल उसके भाड़े के टट्टू व हुक्म के गुलाम हैं। वे शोषक-शासक वर्ग व नौकरशाह अफसर जो हुक्म देते हैं, उसका सही-गलत, न्याय-अन्याय का विचार किये बिना उसको अमल करते हैं।

हम पहले ही साफ बता चुके हैं कि जनता को निशाना बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर जनता को निशाना बनाना हमारा लक्ष्य होता तो हम बुबीट्रैप से बचने के लिए जनता को सूचना नहीं देते या अपील नहीं करते। पुलिस व अर्द्धसैनिक बल अगर सचमुच में कोल्हान के आदिवासी जनता की सुरक्षा व भलाई चाहते, जनता के प्रति जवाबदेही समझते, तो जनता को सूचना दिये बिना 51एम.एम. और 81एम.एम. मोर्टार से दिन-रात गोला नहीं बरसाते या गोला बरसाने के पहले जनता को सूचना देते। लकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने बुबीट्रैप और स्पाइक होल बिछाया तो आदिवासी जनता को इससे बचने के लिए इसकी सूचना दिये। सलिए पुलिस के दुष्प्रचार का राजनीतिक भण्डाफोड़ करें, उसके दुष्प्रचार को समझें और उसके बहकावे में आकर गुमराह न हों। कोल्हान वन प्रक्षेत्र के गांवों में सीआरपीएफ का एफओबी कैम्प स्थापित करने के बाद ही हमने बुबीट्रैप बिछाना शुरू किया और पुलिस व अर्द्धसैनिक बल जैसे-जैसे एफओबी कैम्प की संख्या बढ़ाते गई और 51एम.एम. और 81एम.एम. मोर्टार से दिन-रात अंधाधुंध गोलाबारी की जाने लगी, तभी हमारे तरफ से भी बुबीट्रैप और स्पाइक होल को व्यापक पैमाने पर बिछाये गये व खोदे गये। पहले एफओबी नहीं था, तो बुबीट्रैप भी नहीं बिछाये गये थे और स्पाइक होल भी नहीं खोदे गये थे। इसलिए जबतक एफओबी रहेगा, तबतक बुबीट्रैप और स्पाइक होल भी रहेगा। एफओबी नहीं रहेगा, तो बुबीट्रैप और स्पाइक होल भी नहीं रहेगा। एफओबी हटेगा, तो बुबीट्रैप और स्पाइक होल भी हटेगा अथवा सीमित होगा।

अतः शोषक-शासक वर्ग के दिशा-निर्देशन में कोल्हान मुक्त करने के नाम पर जारी बर्बर युद्ध अभियान के खिलाफ में तथा जल-जंगल-जमीन पर जनता का अधिकार कायम करने और 'आबुआः दिशोम रे आबुआः राज' यानी जनता की जनसत्ता व सरकार निर्माण करने हेतु भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध का साथ देने के लिए और आपकी सुरक्षा हेतु दक्षिणी जोनल कमेटी, भाकपा (माओवादी) द्वारा जारी किया गया आदेश व अपील का आदिवासी-मूलवासी ग्रामीण जनता सहित तमाम मेहनतकश जनता और यात्री वाहन व मालवाहक वाहन के मालिक और चालक अवश्य पालन करेंगे। आदेश व अपील का उल्लंघन करने पर खुद को ही खतरा में डालेंगे और अपनी क्षति होगी। उसका जिम्मेवार खुद होंगे, पार्टी और पीएलजीए नहीं।

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

अशोक

प्रवक्ता

दक्षिणी जोनल कमेटी, भाकपा (माओवादी)